रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 290] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18, 1975/आश्विन 26, 1897
No. 290] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1975/ASVINA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October 1975

G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby appoints Hon'ble Mr. Justice V. D. Misra, Hon'ble Mr. Justice Avad Behari Rohtgi and Hon'ble Mr. Justice H. L. Anand, Judges of the Delhi High Court, to the Advisory Board constituted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. G.S.R. 156(E), dated the 21st March, 1975 *vice* Hon'ble Mr. Justice Jagjit Singh, Hon'ble Mr. Justice S. N. Shankar and Hon'ble Mr. Justice V. S. Deshpande, and makes the following amendments in the said notification, namely:—

In the first paragraph of the said notification, for the portion commencing with the words "Advisory Board consisting of" and ending with the words "its Chairman" the following shall be substituted, namely:—

"Advisory Board consisting of—

1. Hon'ble Mr. Justice V. D. Misra, Judge of the Delhi High Court,
2. Hon'ble Mr. Justice Avad Behari Rohtgi, Judge of the Delhi High Court,
3. Hon'ble Mr. Justice H. L. Anand, Judge of the Delhi High Court,

and appoints Hon'ble Mr. Justice V. D. Misra to be its Chairman."

[No. F. 674/10/75-Cus.VIII]

C. T. A. PILLAI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1975

सा० का० नि० 531 (अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 156(ई), तारीख 21 मार्च, 1975 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड में न्यायाधिपति श्री जगजीत सिंह, न्यायाधिपति श्री एस० एन० शंकर और न्यायाधिपति श्री वी० एस० देशपाण्डे के स्थान पर न्यायाधिपति श्री वी० डी० मिश्रा, न्यायाधिपति श्री अवध बिहारी रोहतगी और न्यायाधिपति श्री एच० एल० आनन्द को नियुक्त करती है, तथा उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में, 'एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है' शब्दों से आरंभ तथा 'अध्यक्ष नियुक्त करती हैं' शब्दों से समाप्त भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

1. न्यायाधिपति श्री वी० डी० मिश्रा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय,
2. न्यायाधिपति श्री अवध बिहारी रोहतगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय,
3. न्यायाधिपति श्री एच० एल० आनन्द, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय,

तथा न्यायाधिपति श्री वी० डी० मिश्रा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

[सं० फा० 674/10/75-सीयूएस-VIII]

सी० टी० ए० पिल्ले, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975